सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महिला व बाल विकास विभागाकडील विविध योजना / उपक्रम यांची जाहिरात प्रसिध्दी करण्यास मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः एबावि–२०२४/प्र.क्र.१२८/का.६

नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : - १० सप्टेंबर, २०२४

वाचा:- १)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/ का-३४, दि.१३.८.२०२१

- २) आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/जाहि.प्र.प्लॅन/२०२४-२०२५/का-६/४६१४, दिनांक २५.०७.२०२४.
- ३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचेकडील माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक ०९.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त

प्रस्तावना:-

महिला व बाल विकास विभागाकडील विविध योजना, उपक्रम, कायदे / नियम यांची जाहिरात प्रसिध्दी करण्याच्या अनुषंगाने आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी वाचा क्र. २ येथील पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन व त्याप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने वाचा क्र. ३ अन्वये याकरिता तयार केलेला माध्यम आराखडा व त्यानुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाकडील विविध योजना, उपक्रम, कायदे / नियम यांची जाहिरात प्रसिध्दी करण्याकरिता माध्यम आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये महिला व बाल विकास विभागाकडील विविध योजना, उपक्रम, कायदे / नियम यांची जाहिरात प्रसिध्दी करण्याकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त राबविण्यात येणा-या खालीलप्रमाणे माध्यम आराखड्यास (Media Plan) व त्याकरिता होणा-या रुपये ८,९५,४६,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पंच्यान्नव लक्ष सेहेचाळीस हजार फ़क्त) इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर Media Plan अंतर्गत राबवावयाच्या उपक्रमांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:-

| अ.क्र. | माध्यम | तपशिल | संख्या/ दिवस | अपेक्षित अंदाजित खर्च | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | (सर्व करासहित) रूपये | | | |
| अ) निर्मिती साहित्य | | | | | | | |
| ٩. | प्रिंट | प्रिंट आणि इतर बाह्य | | | | | |
| | | माध्यमांकरिता जाहिरातीचा | | | | | |
| | | मजकूर | | | | | |
| ₹. | टीव्हीसी विथ सेलिब्रिटी | TVC ६० सेकंद, DAVP Rate | २ | 80,20,000/- | | | |
| 3. | टीव्हीसी | TVC ६० सेकंद, DAVP Rate | ٩ | ८,२६,०००/- | | | |
| 8. | माहितीपट | ४ मिनिटांचे प्रशिक्षण / यशोगाथा | દ્દ | ६९,०३,०००/- | | | |
| | | व्हिडिओ | | | | | |
| ч. | जिंगल्स / स्पॉट | ऑडिओ जिंगल ६० सेकंद | 9 | 8,00,900/- | | | |
| | एकूण (अ) | | | १,२९,२६,९००/- | | | |
| | | | | | | | |

| ब) (इलेक्ट्रॉनिक / बाह्य / समाज / डिजीटल माध्यमे) | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------|------------------|--|--|
| 9 | दूरदर्शन | केंद्र सरकारचा दर, TVC प्रसारण सायं. ७ च्या बातम्यांपूर्वी व | ३० दिवस | 4,90,000/- | | |
| | | मध्यंतरात | | | | |
| ₹. | आकाशवाणी केंद्र | केंद्र सरकारचा दर, जिंगल्स / स्पॉटसचे प्रसारण सकाळी ७.१० | ३० दिवस | ५,९०,०००/- | | |
| | | व सायं. ७ च्या बातम्यांच्या | | | | |
| | | मध्यंतरात एक वेळा | | | | |
| ₹. | मराठी वृत्त वाहिन्यांद्वारे | CBC, DAVP यादीवरील व दर- | ३० दिवस | 99,८०,०००/- | | |
| | जाहिरात प्रसारण | ४५ ते ६० सेकंद जाहिरात | | | | |
| | | प्रसारण, प्रत्येक बॅडमध्ये नमूद दराच्या मर्यादेत समसमान | | | | |
| 8. | राज्यातील १६ FM | CBC, DAVP यादीवरील व दर- | ३० दिवस | ५,९०,०००/- | | |
| | वाहिन्यांवरून जिंगल्स / | ४५ ते ६० सेकंदाच्या जाहिरातींचे | , | ,,, | | |
| | स्पॉटसचे प्रसारण | राज्यातील १६ FM च्या ६० | | | | |
| | | स्टेशनवरून प्रत्येक बॅंडमध्ये | | | | |
| | | प्रस्तावित दराच्या मर्यादेत | | | | |
| y . | चर्चासत्र | प्रसारण शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ | ३० दिवस | 9,48,30,000/- | | |
|). | 99107 | मधील संस्थांच्या सूचीमधील | २० । ५५ (। | 1, 1, 1, 20,000/ | | |
| | | संस्थांमार्फ़त विहीत कार्यपध्दतीचे | | | | |
| | | अवलंब करून प्रसिध्दी करणे | | | | |
| | | शक्य होईल. या माध्यमांच्या | | | | |
| | | संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद दराने | | | | |
| | | प्रसिध्दी करण्याचे प्रस्तावित | | | | |
| | | (विहीत ई-निविदा प्रक्रिया) | | | | |
| ξ. | BTL कॅम्पेन ॲक्टिव्हिटी | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ | ३० दिवस | २,३६,००,०००/- | | |
| | इव्हेंट | मधील संस्थांच्या सूचीमधील संस्थांमार्फ़त विहीत कार्यपध्दतीचे | | | | |
| | | अवलंब करून प्रसिध्दी करणे | | | | |
| | | शक्य होईल. या माध्यमांच्या | | | | |
| | | संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद दराने | | | | |
| | | प्रसिध्दी करण्याचे प्रस्तावित | | | | |
| | | (विहीत ई-निविदा प्रक्रिया) | | | | |
| 0. | मोबाईल द्वारे प्रसिध्दी | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ | ३० दिवस | ९४,४०,०००/- | | |
| | टेक्स्ट मेसेज / व्हॉईस | मधील संस्थांच्या सूचीमधील | | | | |
| | मेसेज / SMS /OBD | संस्थांमार्फ़त विहीत कार्यपध्दतीचे | | | | |
| | Calls / RCS Message / WhatsApp Msg / | अवलंब करून प्रसिध्दी करणे शक्य होईल. (विहीत ई-निविदा | | | | |
| | API Based Activity | प्रक्रिया) | | | | |
| ۷. | सोशल मिडीया | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ | ३० दिवस | 9,06,70,000/- | | |
| | | मधील संस्थांच्या सूचीमधील | | | | |
| | | संस्थांमार्फ़त विहीत कार्यपध्दतीचे | | | | |
| | | अवलंब करून प्रसिध्दी करणे | | | | |
| | | शक्य होईल. या माध्यमांच्या | | | | |
| | | संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद दराने | | | | |

| ٧. | डिजिटल मिडीया, OTT माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी | प्रसिध्दी करण्याचे प्रस्तावित (विहीत ई-निविदा प्रक्रिया) शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील संस्थांच्या सूचीमधील संस्थांमार्फ़त विहीत कार्यपध्दतीचे अवलंब करून प्रसिध्दी करणे शक्य होईल. या माध्यमांच्या | ३० दिवस | १,०६,२०,०००/- |
|-----|--|---|---------|---------------|
| | | संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद दराने प्रसिध्दी करण्याचे प्रस्तावित (विहीत ई-निविदा प्रक्रिया) | | |
| 90. | लोकराज्यच्या माध्यमातून जनजागृती | | | 90,00,000/- |
| | | ७,४१,६०,०००/- | | |
| | | ८,७०,८६,९००/- | | |
| | | २४,५९,१००/- | | |
| | | ८,९५,४६,०००/- | | |

- २. वरीलप्रमाणे माध्यम आराखडयाची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांच्या समन्वयाने करावी. तसेच, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सदर जाहिरात प्रसिध्दीची कार्यवाही माध्यम आराखडा समितीच्या निर्णयानुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार व विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून करावी.
- 3. प्रस्तुत जाहिरात प्रसिध्दीची देयके आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे नावे दर्शविण्यात यावीत.
- ४. प्रसिध्दी करण्यात येणा-या जाहिरातीचे मूल्यांकन व निरीक्षण महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या जिल्हा / तालुका/ क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयामार्फ़त करण्यात यावे.
- ५. कार्यक्रम आयोजन करताना संबंधित एजन्सीकडून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. कार्यक्रम आयोजनात कोणतीही दुर्घटना अथवा अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित एजन्सी / संस्थेची राहील.
- ६. प्रस्तुत प्रकरणी देयके अदा करण्याची कार्यवाही आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे या कार्यालयाने शासन मान्यतेनंतर करावी.
- ७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फ़त नेमणूक करण्यात आलेल्या संस्थेशी (Third party Audit Agency) महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने समन्वय साधून जाहिरातीच्या प्रसिद्धी मोहीमेवर निरीक्षण करावे. सदर संस्थेकडून मॉनिटरींग व रिपोर्टींगचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देयक अदायगी बाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. बाह्य माध्यमांद्वारे प्रसिद्धीकरिता प्रत्येक बाह्य माध्यमांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरदतूदीच्या ३ टक्के इतकी रक्कम उपलब्ध करुन त्रयस्थ संस्थेच्या (Third party Audit Agency) देयकांची अदायगी करण्यात यावी.
- ८. त्यानुषंगाने प्रसिध्दी करण्यात येणा-या जाहिरातींचे मूल्यांकन व निरीक्षण महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने करावे. प्रसिध्दी नंतर आवश्यक असलेल्या बाह्य माध्यमांचे जिओ टॅग फ़ोटो (पहिल्या व शेवटच्या

दिवसांचे) आवश्यकतेनुसार तसेच ज्या माध्यमाकडे एकाधिकार आहेत, अशा माध्यमांचे त्या त्या संबंधित कंपनीचे काम पूर्ण केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देयके तपासणीकरिता आवश्यक राहतील.

- ९. उपरोक्त माध्यम आराखङ्याप्रमाणे जाहिरात प्रसिध्दीचे कामकाज पूर्ण केल्याबाबत विहित कार्यपध्दतीनुसार खातरजमा करून आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांनी अभिप्रायासह संबंधितांची देयके अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव आवश्यक त्या दस्ताऐवजासह शासनास मान्यतेस्तव सादर करावा. त्यानुसार शासनाने मान्यता दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी.
- 90. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च हा मागणी क्र. एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय, (०१)(०५) जनजागृती, प्रसिध्दी, प्रशिक्षण आणि मूल्यमापन (कार्यक्रम), २२३५ ए ९०१, २६- जाहिरात व प्रसिध्दी या लेखाशीर्षाखाली तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- ११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१८४९२३७३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(वि. रा. ठाकूर) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- 9) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई,
- २) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई,
- ३) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
- ४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
- ५) महालेखापाल, महाराष्ट्र–१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर,
- ६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
- ७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई,
- ८) सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास),
- ९) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म व बा. वि.), जिल्हा परिषद,
- १०) सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी,
- ११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी),
- १२) निवड नस्ती -का-६.